भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2400
उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एनसीएस/एनएफएस पद

†2400. श्री राहुल गांधी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान प्रत्येक केंद्रीय विश्वविद्यालय में विज्ञापित शिक्षण पदों की पद-वार (सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर), श्रेणी-वार (अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगजन) और वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) कोई अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया (एनसीएस) या उपयुक्त नहीं पाया गया (एनएफएस) के रूप में घोषित विज्ञापित शिक्षण पदों की शैक्षणिक स्थिति-वार, श्रेणी-वार, विश्वविद्यालय-वार और वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;
(ग) ऐसे कितने मामले हैं जहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान पदों को एनसीएस या एनएफएस घोषित करने का कोई कारण नहीं बताया है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(सुकान्त मजूमदार .डॉ)

(क) से (घ): भारत सरकार ने स्वीकृत संकाय पदों को वर्ष 2014 में 16324 से बढ़ाकर 2025 में 18951 कर दिया है। कुल स्वीकृत संकाय पदों में 16% की वृद्धि के बावजूद, संकाय रिक्तियां 2014 में 36.04% से घटकर 2025 तक 25.8% हो गईं। एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणियों के लिए स्वीकृत संकाय पदों में 52% की समान वृद्धि हुई है जो 2014 में 4701 से बढ़कर 2025 में 7153 हो गई है। रिक्त शिक्षण पदों को भरने के लिए भी ठोस प्रयास किए गए हैं और आरक्षित श्रेणी के संकाय पदों में भरे गए पदों में 136.9% की वृद्धि हुई है जो 2014 में 1909 से बढ़कर 2025 में 4523 हो गई है। इसके अलावा, मिशन भर्ती के तहत विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से केंद्रीय

विश्वविद्यालयों में सभी श्रेणियों में 8150 से अधिक संकाय पद भरे गए हैं। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 को दिनांक 09.07.2019 को अधिसूचित किया गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती में पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह अधिनियम आरक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग विभागों के बजाय विश्वविद्यालय/केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान को एक इकाई मानकर नियुक्ति में पदों के आरक्षण संबंधी कठिनाई को दूर करता है। इसके अलावा, इस अधिनियम द्वारा वर्ष 2019 से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर पर भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान किया गया। इससे पहले ओबीसी के लिए आरक्षण केवल असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर पर था। किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित पद केवल उसी श्रेणी के पात्र व्यक्तियों द्वारा ही भरे जा सकते हैं; किसी भी आरक्षित श्रेणी से संबंधित किसी भी रिक्त पद को, भर्ती के अगले चक्रों में, उस विशेष आरक्षित श्रेणी में बैकलॉग रिक्तियों के रूप में तब तक पुनः विज्ञापित किया जाता रहेगा जब तक कि वे भरे नहीं जाते। इसके अलावा, सहायक प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्य शर्त में भी ढील दी गई है।

खुले विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें सभी पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत भर्ती हेतु विधिवत गठित चयन समितियाँ, पदों के संबंध में उम्मीदवारों की उपयुक्तता की सिफ़ारिशें करती हैं और तदनुसार, चयन समितियों की सिफ़ारिशों के आधार पर नियुक्तियाँ की जाती हैं।विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों" में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतमअर्हताएं, 2018" संबंधी यूजीसी विनियम एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ चयन प्रक्रिया का प्रावधान करता हैं। यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में अन्य के अलावा एससीदिव्यांग श्रेणियों/महिला/अल्पसंख्यक/ओबीसी/एसटी/, यदि इनमें से किसी भी श्रेणी से कोई उम्मीदवार आवेदक है, के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित और उनके तहत बनाए गए अधिनियमों, संविधियों, अध्यादेशों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा सभी प्रशासनिक और शैक्षणिक निर्णय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशानिर्देशों के /के सांविधिक प्रावधानों और प्रासंगिक विनियमों (यूजीसी) अनुसार, सांविधिक निकायों के अनुमोदन से लिए जाते हैं। रिक्तियों का होना और पदों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) समय पर -नियमित रूप से संस्थाओं की निगरानी करते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को समय नियमित प्रक्रिया के माध्यम से रिक्तियों को भरने की सलाह दी जाती है।

****